

क्रमांक प. 16(1)वि.ना./2023

जयपुर, दिनांक 6 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब 1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2024 में उक्त अधिनियम के अधीन संचालित संस्थाओं में निम्नांकित दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहेंगे:-

क्र.सं	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1	गणतंत्र दिवस	26.01.2024	शुक्रवार
2	धुलण्डी	25.03.2024	सोमवार
3	वार्षिक बैंक खाता बन्दी	01.04.2024	सोमवार
4	ईदुलफितर*	11.04.2024	गुरुवार
5	रामनवमी	17.04.2024	बुधवार
6	ईदुलजुहा	17.06.2024	सोमवार
7	मोहर्रम (ताजिया)*	17.07.2024	बुधवार
8	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2024	गुरुवार
9	रक्षाबंधन	19.08.2024	सोमवार
10	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	26.08.2024	सोमवार
11	गांधी जयन्ती	02.10.2024	बुधवार
12	नवरात्रा स्थापना	03.10.2024	गुरुवार
13	दीपावली	31.10.2024	गुरुवार
14	गोवर्धन पूजा	02.11.2024	शनिवार
15	गुरु नानक जयन्ती	15.11.2024	शुक्रवार
16	किरामस डे	25.12.2024	बुधवार

* चौद दिखाई देने की दशा में।

नोट :-द्वितीय शनिवार एवं रविवार होने के कारण निम्नलिखित अवकाशों को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

क्र.सं	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1	महावीर जयन्ती	21.04.2024	रविवार
2	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती	14.04.2024	रविवार
3	विजयदशमी	12.10.2024	शनिवार (द्वितीय)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बुजेश किशोर शर्मा)
निदेशक वित्त (बजट)